क्रमांक 28/138/81–जी0 एस0–I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, हरियाणा ।

2. सभी उपायुक्त तथा मण्डल अधिकारी (सिविल) हरियाणा ।

3. रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट तथा हरियाणा के सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश ।

दिनांक चण्डीगढ़ 4 सितम्बर, 1981

विषय : अनिवार्य सेवा निवृति-सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को 50/55 वर्ष की आयु से आगे सेवा में रखने की का विधि में परिवर्तन ।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 3575–4जी0एस0 I–75/24237, दिनांक 9 अगस्त 1975 की ओर दिलाने और यह कहने का निर्देश हुआ है कि इस पत्र में दी गई हिदायतों के अनुसार श्रेणी–II के ऐसे अधिकारियों जिनका नियुक्ति प्राधिकारी सरकार नहीं है अर्थात् सरकार से नीचे के प्राधिकारी हैं, को 50/55 वर्ष तथा श्रेणी–III के कर्मचारियों को 55 वर्ष की आयु से आगे सेवा में रखने के बारे में निर्णय उनके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वयं लिया जाना है । उन्हें इस सम्बन्ध में अपने से उपर के स्तर के प्राधिकारी की मन्त्रणा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के मामले जो रिकार्ड के आधार पर तो सेवा में रखने योग्य हों पर उनकी ईमानदारी कभी भी संदेहजनक रही हो को अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व इस सम्बन्ध में संगठित अधिकारी समिति के विचारार्थ रखे जाने है ।

2. यह देखने में आया है कि उपर्युक्त हिदायतों की पूर्णतया पालना नहीं की जा रही है । विभिन्न विभागों से बहुत से ऐसे मामले सामान्य सेवाएं शाखा–I में अधिकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्राप्त होते रहते हैं जिन्हें हिदायतों के अनुसार अधिकारी समिति के विचारार्थ रखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती । अतः आपसे अनुरोध है कि सरकार की हिदायतों के अनुसार ही मामले अधिकारी समिति को प्रस्तुत करने हेतु भेजे जाएं ।

3. संयुक्त पंजाब के पत्र क्रमांक 4776–3 जी0एस0 (I)–64/15823 दिनांक 19/21 मई 1964 में अंकित हिदायतों के अनुसार किसी अधिकारी / कर्मचारी को निश्चित आयु के बाद सेवा में कायम रखने के का फैसला काफी समय पहले होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी को तीन मास का नोटिस उचित समय पर दिया जा सके । परन्तु यह देखने में आया है कि बहुत से मामले मुख्य सचिव (सामान्य सेवाएं शाखा– I) को सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निश्चित आयु प्राप्त करने के काफी समय के बाद भेजे जाते हैं । स्पष्टः ऐसे मामलों में वांछित उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती । इसलिए आपका ध्यान इन हिदायतों की ओर पुन दिलाते हुए अनुरोध किया जाता है कि इस विभाग को भेजे जाने वाले सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के मामले उन द्वारा निर्धारित आयु प्राप्त करने से कम से कम 6 मास पूर्व भेजे जाएं ताकि निर्णय उपरान्त यदि आवश्यक हो तो सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी को निश्चित आयु पूरी होने से पहले 3 मास का नोटिस उचित समय पर दिया जा सके ।

4. आपसे अनुरोध किया जाता है कि कृपया उपर्युक्त हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाए और यह हिदायतें अपने अधीन सभी अधिकारियों के ध्यान में ला दी जाए ।

हस्त/-

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।